

असाधारण

## **EXTRAORDINARY**

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

# PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 257] No. 257] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 1, 2009/वैशाख 11, 1931 NEW DELHI, FRIDAY, MAY 1, 2009/VAISAKHA 11, 1931

वित्त मंत्रालय

(आधिक कार्य विभाग)

भारतीय रिजर्व बैंक

(विदेशी मुदा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय

अधिसूचना

मुम्बई, 27 फरवरी, 2009

विदेशी मुदा प्रबंध (गारंटी) द्वितीय संशोधन विनियमावली, 2009

सा.का.नि. 298(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खण्ड (अ) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक, एतदृद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 8/आर बी-2000) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-

(क) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2009 कहे जाएंगे ।

(ख) यह माना जायेगा कि ये विनियम, नवम्बर 2008 के 10वें दिन से लागू हैं \*।

2. विनियम में संशोधन.— विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंदी) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 8/आरबी-2000) में, विनियम 4 के उप-विनियम (1क) के बाद निम्नलिखित नया उप-विनियम अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

''( 1ख ) भारत में कोई प्राधिकृत व्यापारी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर इस संबंध में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन, भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति के किसी दायित्व की गारंटी दे सकता है अथवा समर्थनकारी पत्र जारी कर सकता है और भारत में रहने वाले ऐसे किसी व्यक्ति के अनुमत पण्य बचाव लेन-देन के संबंध में मार्जिन राशि के भुगतान के लिए भारत से बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति का देनदार हो सकता है।''

[सं. फेमा 189/आर बी-2009]

सलीम गंगाधरन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : (1) \*यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति पर इन विनियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । (2) मूल विनियमावली 5 मई, 2000 को सा.का.नि. 391(अ) के जरिये सरकारी राजपत्र भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित की गयी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी :

- (i) 19-8-2002 के सं. सा.का.नि. 575(अ)
- (ii) 16-11-2004 के सं. सा.का.नि. 745(अ)
- (iii) 9-2-2005 के सं. सा.का.नि. 61(अ) और 14-3-2007 के सं. सा.का.नि. 196(अ)।

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

### RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

#### NOTIFICATION

Mumbai, the 27th February, 2009

# Foreign Exchange Management (Guarantees) (Second Amendment) Regulations, 2009

G.S.R. 298(E).—In exercise of the powers conferred by clause (j) of sub-section (3) of Section 6 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Guarantees) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 8/RB-2000 dated May 3, 2000), namely:—

### 1. Short Title and Commencement.-

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Guarantees) (Second Amendment) Regulations, 2009.
  - (ii) They shall be deemed to have come into effect from the 10th day of November, 2008 (a).
- 2. Amendment of Regulation In the Foreign Exchange Management (Guarantees) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 8/RB-2000 dated May 3, 2000), in Regulation 4 after sub-regulation (IA) the following new sub-regulation shall be inserted namely:—
  - "(1B) An authorised dealer in India may give guarantee or standby Letter of Credit in respect of an obligation incurred by a person resident in India and owed to a person resident outside India in connection with payment of margin money in respect of approved commodity hedging transaction of such person residing in India subject to such terms and conditions as may be stipulated by the Reserve Bank from time to time."

[No. FEMA 189/RB-2009]

SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager - in - Charge

- Footnote:—1. @ It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these regulations.
  - 2. The principal regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 391(E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended *vide*: —
  - (i) No G.S.R. 575(E) dt.19-8-2002
  - (ii) No. G.S.R.745(E) dt. 16-11-2004
  - (iii) No. G.S.R. 61(E) dt. 9-2-2005, and No. G.S.R. 196(E) dt.14-3-2007.